राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1521/2025

फूलसिंह गुर्जर —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा), जयपुर।
3. सत्यवीर सिंह बहादुर पुरिया, नर्सिंग अधिकारी, गणगौरी अस्पताल, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर उप जिला चिकित्सालय, पावटा, जिला कोटपुतली—बहरोड़ में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से गणगौरी अस्पताल, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा किया गया था। अपीलार्थी को अल्प अवधि में बार—बार स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का सी.के.एस. अस्पताल, जयपुर में किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था और अपीलार्थी उस समय मेडिकल लीव पर था और अब भी अपीलार्थी को फिर से किडनी स्टोन की समस्या है। अपीलार्थी आयुर्वेदिक उपचार भी ले रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपने मूल स्थान से दूर रहना मुश्किल है। अपीलार्थी की पत्नी भी माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर उप जिला चिकित्सालय, पावटा, जिला कोटपुतली—बहरोड़ में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर उप जिला चिकित्सालय, पावटा, जिला कोटपुतली–बहरोड़ में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से गणगौरी अस्पताल, जयपुर में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 29.06.2022 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य